हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सप्तम् सत्र

शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024/29 मार्गशीर्ष, 1946 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

(i)	स्थगित	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।
(ii)	दिन के लिए	

   (2) **अतारांकित :**

(i)	स्थगित	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।
(ii)	दिन के लिए	

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएगें:**

   (1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित);

   (ii) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24;

   (iii) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iv) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 21/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018, दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 22/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018, दिनांक 06.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.08.2018 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 23/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-24/2018, दिनांक 20.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.09.2018 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (3) और 15 की उपधारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 24/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 25/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

(ix) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 26/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

(x) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 27/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

(xi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 28/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित;

(xii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 29/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित; और

(xiii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: 30/2018 राज्य कर (दर) ई. एक्स.एन.-एफ(10)-33/2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2018 को प्रकाशित।

(2) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: ईडीएन-सी-ए(3)-1/2024, दिनांक 10.10.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.10.2024 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: ईडीएन-सी-ए(3)-2/2024, दिनांक 10.10.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.10.2024 को प्रकाशित।

(3) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, अनुसंधान अधिकारी, ग्रुप-ए (अलिपिकवर्गीय), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: आर0डी0-ए(3)-1/2024, दिनांक 31.05.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.09.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(4) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री**, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1986 (1986 के अधिनियम संख्या 14) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2024-25),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **88वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **89वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है;

(3) समिति का **90वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित **तथा वित्त विभाग** से सम्बन्धित है;

(4) समिति का **91वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है;

(5) समिति का **92वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है; और

(6) समिति का **93वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) श्री विनोद कुमार, कार्यकारी सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2024-2025), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित **"बाल अधिकार संरक्षण आयोग"** से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **29वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है।

(3) श्री भवानी सिंह पठानिया, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **22वां प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **योजना विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ;

(2) समिति का **23वां प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(3) समिति का **24वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा)** (वर्ष 2024-25) जोकि मानव विकास समिति के अन्तर्गत **मांग संख्या:30**-विविध सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की अनुदान मांगों से सम्बन्धित समिति के **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित है।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य- सलाहकार समिति का नवम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा।

5. विधायी कार्य:

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2014-15 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 29)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2015-16 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 30)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2016-17 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 31)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(4) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2017-18 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 32)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(5) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2018-19 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 7) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 33)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(6) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 8) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 34)

प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2019-20 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(7) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 9) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 35)

प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 2020-21 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(8) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 36)

प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(9) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 37)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(10) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 38)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(11) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि राज्य के मामलों से सम्बन्धित लोक सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 39)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(12) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024
(2024 का विधेयक संख्यांक 40)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(13) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम

हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 42)	सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(14) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री**, प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41)	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

6. नियम-102 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प:

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि:

"यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (एफसीए) में संशोधन कर आपदाओं में खेती योग्य भूमि बह जाने पर तबादले में सरकारी वन भूमि व लघु एवं सीमांत किसानों को 10 बीघा तक सरकारी वन भूमि खेती करने हेतु प्रदान करने का आग्रह करता है।"

7. गैर-सरकारी सदस्य कार्य:

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

धर्मशाला-176215 **(यशपाल शर्मा)**

दिनांक: 19 दिसम्बर, 2024 **सचिव।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'सकंल्प'

सप्तम् सत्र

शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची :

क्रम सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री संजय अवस्थी सुश्री अनुराधा राणा	To frame an Integrated Policy, for the unemployed, on hourly wages basis (Private Sector); For achieving a sustainable growth in Agriculture Allied, Horticulture, Industry and Construction Sector etc.
2.	श्री सुखराम चौधरी	हिमाचल प्रदेश में लगे सभी विभागों के out source कर्मचारियों को हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।
3.	श्री जीत राम कटवाल	यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में श्रीमद् भगवदगीता अनुसंधान पीठ स्थापित करने बारे यह सदन विचार करे

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

****

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(सप्तम् सत्र)

शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024/29 मार्गशीर्ष, 1946(शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

प्रश्न संख्या	शुद्धियां

तारांकित प्रश्न

कुल प्रश्न-39

*2291	विलोप किया गया।
*2304	मुख्य मन्त्री के स्थान पर "**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री**" पढ़ा जाए।

शिमला-171004
दिनांक: 19-12-2024

यशपाल शर्मा,
सचिव ।